



2026:AHC:19418

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 317/2026

कल्लूयाचिकाकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रेम प्रकाश
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष की माँग करते हुए दायर की गई है:-

"i. परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी, तहसील-सदर, जिला मिर्जापुर को यह निदेश दिया जाए कि वह अपील संख्या 0263/2018, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 2018541653000000263 (कल्लू बनाम ग्राम पंचायत दुब्रा पहरी एवं अन्य), उ.प्र.च.जो.अ., 1953 की धारा 11(1) के अंतर्गत, जो उनके समक्ष लंबित है, का विनिश्चय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयबद्ध अवधि के भीतर करे।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इस न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी निपटान अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः पाँच माह की अवधि के भीतर उक्त मामले का शीघ्रता से निर्णय करें।

5. यह अपेक्षित है कि इसे विधि के अनुसार, सकारण और आख्यापक आदेश द्वारा, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना विनिश्चित किया जाए।

6. उपरोक्त निदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

28 जनवरी, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)